

फर्द अहकाम
नियम (26)

अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा

वादी/प्रार्थी

बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी

हरकीया पुत्र समरथाजी
वगेरा (6) जाति मेधावेंगी
सा. वासडाधानजी

स्व. जैसीया के काठ भूट
पीया पुत्र जैसीयाजी वगेरा (4)
जाति मेधावेंगी सा. वासडाधानजी

किस्म मुकदमा - राजस्व वाद / प्रार्थनापत्र / पत्रना-पत्र / नंबर - 16/2019/20

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.2.19	<p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री <u>श. लखवान सिंह</u> द्वारा पत्रना-पत्र बाबत <u>अस्थानी निषेधपत्र</u></p> <p>विरुद्ध प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए <u>नोटिस</u> तलब होकर मिशल आयंदा तारीख 27.9.2019 को पेश हो।</p>	
27.9.19	<p>पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थीगण नं. 1-1, 1-2 हाफिज/शाज श्रीमान <u>AC लाहव वाकर पधार डोकर</u> मिसल तारीख 11-10-19 को पेश हो।</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान <u>AC लाहव वाकर पधार डोकर</u> मिसल तारीख 11-10-19 को पेश हो।</p>
11.10.19	<p>पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान <u>AC लाहव वाकर पधार डोकर</u> मिसल तारीख 29-11-19 को पेश हो।</p>	
29.11.19	<p>पत्रावली आज पेश हुई। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय में है। पत्रावली आयंदा तारीख 12.12.19 को पेश हो।</p>	
12.12.19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलीय पत्र की वल्ल सुनी गई। बस पर मनन क पत्रावली के अवलोकन ले मामला उपम हदतया बनना पाया गया अतः मूल</p>	

उत्तरप्रदेश सरकार के
वाद के विस्तारण तब, इस कदम पाके
किय जात है कि मौज्य विश्जोइयो के
गोलिया में स्थित कादगस्त आरामियकरा
नं. 92, 93, 94 व 95 के मोडे
व रागत रेकड की मूल काद के
विस्तारण तब यथा स्थिति बनाये रखे।

सिफल फैलल होकर नंबर से
इस हो व मूल काद के साथ नली हो।

सहायक वलेक्टर
जसवन्तपुरा (जिला)